आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-92/2021

पाणिनी प्रिये रंजन..वादी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य...विपक्षीगण

07.06.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-6291/2020 में दिनांक 22.11.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

"....Petitioner seeks permission to withdrawn this application reserving liberty to take recourse to alternative remedy which are equally efficacious, as stipulated under the provisions of section 32(vi) of the Bihar Targeted Public Distribution System (control) order, 2016.

Prayer allowed. Liberty, as prayed for, is granted.

Without expressing any opinion on merits, leaving all questions of fact and law open, the present application is disposed of as withdrawn with the liberty aforesaid.

We expect that the appropriate authority shall consider and decide the petitioner's application/request expeditiously and preferably within a period of six months from the date of its presentation."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला आपूर्ति शाखा समाहरणालय, सिवान द्वारा दिनांक 26.08.2017 को प्रकाशित सूचना/विज्ञापन के आलोक में अनुमंडल महाराजगंज, प्रखंड-लकड़ी नबीगंज के पंचायत-बरौली में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध आवेदक पाणिनी प्रिये रंजन, विपक्षी सं0-02, सुनील कुमार सिंह, पिता-स्व0 विक्रमा सिंह सहित कुल सत्रह (17) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसमें से कुल 16 आवेदन वैध पाए गए थे। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा 11(vi)** में वर्णित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 13.07.2018 को आहूत जिला चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उपरोक्त कोटि के अन्तर्गत श्री रामाशंकर तिवारी, पिता-जलेश्वर तिवारी का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया गया। श्री तिवारी के चयन के विरूद्ध उनके कम्प्यूटर प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए एक अन्य अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-कैलाश सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 4948/2019, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.08.2019 को पारित आदेश में जिला पदाधिकारी, सिवान को मामलें में समुचित निर्णय लिए जाने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 18.01.2020 को जिला आपूर्ति चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में चयनित अभ्यर्थी श्री रामाशंकर तिवारी, पिता-जलेश्वर तिवारी का कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र वैध नहीं पाए जाने के आधार पर उनके पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। श्री रामाशंकर तिवारी का चयन रद्द होने की स्थिति में उनके पश्चात सर्वाधिक योग्य अभ्यर्थी के रूप में श्री सुनील कुमार सिंह का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु सर्वसम्मति से किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 6291/2020, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.11.2020 को पारित आदेश के आलोक में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत ग्राम पंचायत राज-बरौली में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 21.09.2017 से दिनांक 26.09.2017 तक आवेदन की मांग की गयी। जिसके क्रम में आवेदक एवं विपक्षी सहित कुल 17 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदक सर्वाधिक योग्य अभ्यर्थी थे परंतु चयन समिति द्वारा दिनांक 13.03.2018 को आयोजित बैठक में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु श्री रामाशंकर तिवारी पिता-जलेश्वर तिवारी का चयन किया गया। उक्त के विरूद्ध एक अन्य अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 4948/2019, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.08.2019 को जिला पदाधिकारी, सिवान को मामलें की सुनवाई कर सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया था। परन्तु जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा स्वयं सुनवाई न कर मामलें को चयन समिति के समक्ष रखा गया तथा चयनित अभ्यर्थी श्री रामाशंकर तिवारी के कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र की वैधता की जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नवीगंज से कराया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नवीगंज के प्रतिवेदन में श्री तिवारी के कम्प्यूटर प्रमाण को वैद्ध नहीं पाए जाने के आधार पर नयी अनुज्ञप्ति हेतु उनका चयन को रद्द किया गया, परंतु आवेदक के शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता को पुनः नजरअंदाज करते हुए विपक्षी सं0-02, सुनील कुमार सिंह का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु कर लिया गया। उनके द्वारा आगे बताया गया कि आवेदक द्वारा चयन समिति एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष इस बात को रखा गया था कि नव चयनित अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार सिंह की पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है तथा अभ्यर्थी स्वयं पैक्स अध्यक्ष है, परंतु उक्त बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है।

उक्त के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चयन समिति द्वारा पारित आदेश **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, जिसे निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विपक्षी सं0-02, सुनिल कुमार सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्कों का खंडन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि चयन समिति द्वारा सभी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पर

Scanned with OKEN Scanner

समुचित विचार के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है। विपक्षी सं0-02 के पैक्स अध्यक्ष तथा उनकी पत्नी के पंचायत शिक्षिका होने के बिन्दु पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि पैक्स अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि नहीं है। साथ ही विपक्षी की पत्नी पंचायत शिक्षिका है, जो सरकारी सेवा का पद नहीं है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** में अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिए जाने में कहीं भी प्राप्तांकों का उल्लेख नहीं है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि कम्प्यूटर ज्ञान एवं योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जानी है। उक्त प्रावधान के आलोक में विपक्षी सं0-02 सभी वांछित अर्हता रखते है तथा उनकी उम्र भी आवेदक से अधिक है। ऐसे में विपक्षी सं0-02 के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना नियमानुकूल है, जिसे यथावत रखा जाए।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चयन समिति, सिवान द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश नियमानुसार सही है, जिसे यथावत रखा जाए।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि आवेदक का पक्ष है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उनके शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता, विपक्षी सं0-02, सुनिल कुमार सिंह के पैक्स अध्यक्ष होने तथा विपक्षी के पत्नी के पंचायत शिक्षिका होने के बिन्दु पर विचार किए बिना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से विपक्षी का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु कर लिया गया है। जबकि विपक्षी सं0-02 का कथन है कि पैक्स अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि का पद नहीं है और न ही उनकी उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका है। विपक्षी का आगे तर्क है कि आवेदक एवं विपक्षी की शैक्षणिक योग्यता समान है, आवेदक की जन्म तिथि 11.05.1992 तथा विपक्षी की जन्म तिथि 15.10.1974 है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे कहा गया कि अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में आवेदक, पाणिनी प्रिये रंजन तथा विपक्षी सं0-02, सुनिल कुमार सिंह के शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता एवं जन्म तिथि का विवरण निम्न हैः-

नाम	जन्म तिथि	उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता	कम्प्यूटर योग्तया
प्राणिनी प्रिये रंजन, आवेदक	11.05.1992	B.Ed.	ADCA
सुनिल कुमार सिंह विपक्षी सं0-02	15.10.1974	स्नातक	है।

इस क्रम में विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि निम्न न्यायालीय अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन दिनांक 25.09.2017 में शैक्षणिक योग्यता में B.Ed का उल्लेख किया गया है। आगे यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

17.09.2018 को प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख है कि उनके आवेदन से पैन कार्ड, नियोजनालय कार्ड, B.Ed डिग्री कार्ड, अमानत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विलोपित कर महाराजगंज कार्यालय द्वारा भेजा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं0-02 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है।

(i) विपक्षी सं0-02, सुनिल कुमार सिंह के शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता से संबंधित कागजात अभिलेख पर संलग्न नहीं पाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज के पत्रांक-527, दिनांक 17.11.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से विपक्षी सं0-02, सुनिल कुमार सिंह के शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता से संबंधित आँकड़े अंकित किए गए है।

(ii) आवेदक पाणिनी प्रिये रंजन के शैक्षणिक/कम्प्यूटर योग्यता से संबंधित कागजात अभिलेख पर उपलब्ध है।

(iii) विपक्षी द्वारा अपनी याचिका में अपने पैक्स अध्यक्ष होने अथवा नहीं होने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। उनके द्वारा याचिका के कंडिका 7 में मात्र उल्लेख है कि पैक्स अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि नहीं होता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी का पैक्स अध्यक्ष होने से इन्कार नहीं है।

बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11 (ii) में अंकित किया गया है कि, *" मुखिया, संरपच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।"*

उक्त कंडिका में किसी अभ्यर्थी को पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने के कारण निरर्हित *(Disqualified)* रहने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(iv) बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी आवेदक के पत्नी के शिक्षिका होने के आधार पर नई P.D.S अनुज्ञप्ति हेतु उनकी अभ्यर्थिता को खारिज नहीं किया जा सकता है।

(v) अपीलकर्त्ता द्वारा अपने लिखित बहस में विपक्षी, सुनील कुमार सिंह के

Scanned with OKEN Scanner

कम्प्यूटर योग्यता में 64.8% अंक दर्शाया गया है। उनके द्वारा विपक्षी के कम्प्यूटर योग्यता या उनके कम्प्यूटर योग्यता की डिग्री पर कोई आपत्ति नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त बिन्दुओ पर विचारोपरांत तथा इस आदेश की कंडिका-6 में उल्लेखित अहर्त्ता के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं विपक्षी, दोनों की शैक्षणिक योग्यता समान है तथा विपक्षी सुमित कुमार सिंह की उम्र आवेदक से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका** 9(v) के आलोक में नई P.D.S अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सुमित कुमार सिंह का चयन समुचित प्रतीत होता है।

ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक 03/मु0, जि0आ0, दिनांक 18.01.2020 द्वारा पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner